भाग-I

अध्याय 1

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 बिजली क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के लिए विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों और जी.एस.डी.पी. के टर्नओवर का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.1: हरियाणा के जी.एस.डी.पी. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	22,256.12	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70
हरियाणा का जी.एस.डी.पी.	3,95,747.73	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73
हरियाणा के जी.एस.डी.पी. से टर्नओवर की प्रतिशतता	5.62	6.27	5.98	7.40	5.65

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है और यह 2013-18 की अवधि के दौरान 6.35 प्रतिशत और 24.54 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा के जी.एस.डी.पी. में वृद्धि 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान जी.एस.डी.पी. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 11.67 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विविध समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। जी.एस.डी.पी. की 11.67 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरूद्ध विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान मामूली रूप से कम 11.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 5.62 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 5.65 प्रतिशत हो गई।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन

1.2 पूववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) का गठन 3 मई 1967 को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड, राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए जिम्मेदार था। पूर्ववर्ती बोर्ड 1986-87 से घाटे में चल रहा था। 31 मार्च 1993 तक संचित घाटा ₹ 1,358.67 करोड़ था। बोर्ड के परिचालनों में

हानियों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण अलाभकारी टैरिफ, प्रसारण और वितरण हानियों की उच्च दरें, रियायती दरों पर कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति, इसके थर्मल पावर स्टेशनों में संयंत्र कम भार के थे जिन्होंने वित्तीय स्थिति और विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बिजली अधिनियम, 1948 पूंजी आधार पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न दर (आर.ओ.आर.) निर्धारित करता है, इसके बावजूद बोर्ड एक प्रतिकूल वित्तीय स्थिति में था।

अड़चनों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने बोर्ड के पुनर्गठन और विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना अध्ययन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया (1993)। सलाहकार की रिपोर्ट (जुलाई 1995) के आधार पर 14 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल. - मार्च 1997 में निगमित) को उत्पादन के कार्य हस्तांतरित करके और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल. - अगस्त 1997 में निगमित) को प्रसारण और वितरण कार्य हस्तांतरित करके पूर्ववर्ती बोर्ड का आखिरकार पुनर्गठन कर दिया गया था। राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली दोनों कंपनियों ने 14 अगस्त 1998 से अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। दूसरी हस्तांतरण स्कीम में, राज्य में वितरण व्यवसाय को दो क्षेत्रों में विभाजित करके वितरण कार्य को एच.वी.पी.एन.एल. से दो वितरण कंपनियों अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. (दोनों मार्च 1999 में निगमित) को हस्तांतरित कर दिया गया। वितरण कंपनियों (एच.वी.पी.एन.एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) ने 1 जुलाई 1999 से अपना व्यवसाय शुरू किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बिजली क्षेत्र में चार और कंपनियां - 2008-09 में यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2012-13 में हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल. की सहायक कंपनी), 2014-15 में एच.ए.आर.यू.पी. कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 2016-17 में सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड को क्रमश: ₹ 1.24 करोड़, ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़ की इक्विटी को मिलाकर संयुक्त उपक्रम के रूप में शामिल किया गया।

हरियाणा कोल कंपनी लिमिटेड और एच.ए.आर.यू.पी. कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रमशः 2014-15 और 2016-17 में बंद हो गई थी। यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने 2017-18 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24 सितंबर 2014 के आदेश द्वारा कोयला ब्लॉक (मारा II महान) को रद्द करने पर कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.3 वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को बिजली क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश[1] का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	कंपनियों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				
		हरियाणा सरकार की इक्विटी	अन्य की इक्विटी	हरियाणा सरकार के दीर्घ अवधि ऋण	अन्यों से ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	1	2,873.46	148.58	0.00	1,800.21	**4,822.25**
विद्युत का प्रसारण	1	2,887.13	13.67	0.00	4,624.42	**7,525.22**
विद्युत का वितरण	2	10,240.41	984.26	6,331.83	4,646.14	**22,202.64**
कुल	**4**	**16,001.00**	**1,146.51**	**6,331.83**	**11,070.77**	**34,550.11**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक, विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋण) ₹ 34,550.11 करोड़ था। निवेश में 49.63 प्रतिशत इक्विटी और 50.37 प्रतिशत दीर्घ अवधि ऋण शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए दीर्घ अवधि ऋणों में कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 36.38 प्रतिशत (₹ 6,331.83 करोड़) संगठित किया, जबकि कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 63.62 प्रतिशत (₹ 11,070.77 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया। हालाँकि, 2015-16 और 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना[2] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) का ₹ 25,950 करोड़ (75 प्रतिशत) लिया है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण,

1 निवेश में हरियाणा सरकार और अन्य द्वारा विस्तारित प्रदत्त पूँजी और दीर्घ अवधि ऋण शामिल हैं।

2 डिस्कॉम्ज के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम।

अनुदान/परिदान, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के विवरण

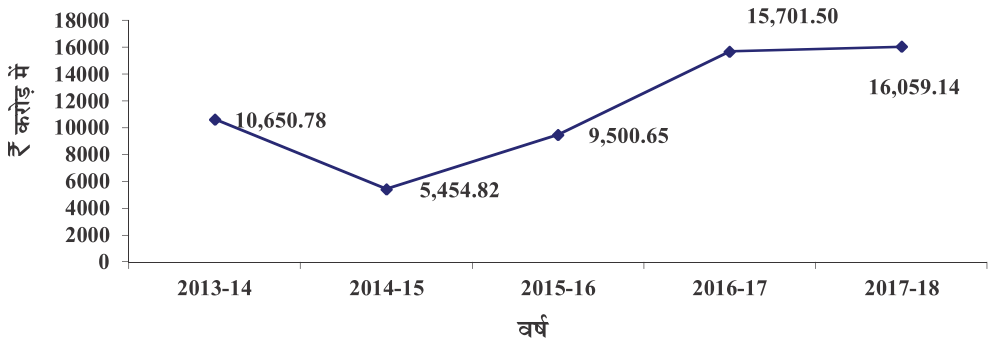
(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
पूंजीगत इक्विटी[3] (i)	4	2,916.92	4	3,225.49	4	10,644.44
दिए गए ऋण (ii)[4]	2	156.83	3	1,974.67	3	550.70
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान[5] (iii)	2	6,426.90	3	10,501.35	2	4,864.00
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**9,500.65**		**15,701.51**		**16,059.14**
बट्टे खाते डाले गए ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियां	4	3,804.78	3	87.39	3	263.18
प्रतिबद्ध गारंटियां	4	14,472.72	4	5,563.18	4	4,204.17

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के प्रति बजटीय समर्थन का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के लिए बजटीय सहायता



2013-14 से 2017-18 के दौरान इन सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 5,454.82 करोड़ तथा ₹ 16,059.14 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 16,059.14 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के रूप में क्रमश: ₹ 10,644.44 करोड़, ₹ 550.70 करोड़ तथा ₹ 4,864.00 करोड़ शामिल थे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने भी राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्ज) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उदय स्कीम भी शुरू की (20 नवंबर 2015)।

3 इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 1,297.50 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,190.00 करोड़ शामिल हैं।

4 यह 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 12,110 करोड़ और ₹ 3,460 करोड़ के उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए ब्याज वहन करने वाले ऋणों को शामिल नहीं करता है।

5 इसमें 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्राप्त ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान शामिल है।

उदय स्कीम के प्रावधानों और दो डिस्कॉम्ज द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर इस अध्याय के पैरा संख्या 1.20 के अंतर्गत चर्चा की गई है। ₹ 15,570 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को उदय स्कीम के अंतर्गत 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. द्वारा चुकाया गया और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी में नया अंशदान (₹ 5,190 करोड़) उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज में 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। विभिन्न पूंजी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त इक्विटी दी गई थी।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी फीस प्रभारित की जाती है। राज्य सरकार ने दो प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस प्रभारित की। गारंटी प्रतिबद्धता 2015-16 में ₹ 14,472.72 करोड़ से घटकर 2017-18 के दौरान ₹ 4,204.17 करोड़ हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को कोई गारंटी फीस नहीं दी गई थी।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखा से मिलान

1.6 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को ऋण की स्थिति में अंतर थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

तालिका 1.4: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	वित्त लेखा 2017-18 के अनुसार ऋण	कंपनी लेखा 2017-18 के अनुसार ऋण	अंतर
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	57.49	0.00	57.49
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	11,631.86	1,294.11	4,005.92
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		6,150.01	
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		181.82	
कुल		**11,689.35**	**7,625.94**	**4,063.41**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के मध्य अंतर जारी है। अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर सा.क्षे.उ./विभागों के साथ उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों के मिलान करने चाहिए।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा 30 सितंबर 2018 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखा प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

30 सितंबर को विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में बकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	6	5	4	5	5
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	7	5	2	6	8
3.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखे अंतिमकृत किए	4	3	0	2	5
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिमकृत किए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	3	2	2	4	3
5.	लेखाओं में बकाया वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	2	2	4	3	0
6.	लेखाओं में बकाया की संख्या	2	2	4	3	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-

स्रोत: 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

अब विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लेखाओं को अंतिम रूप देने में कोई बकाया नहीं है।

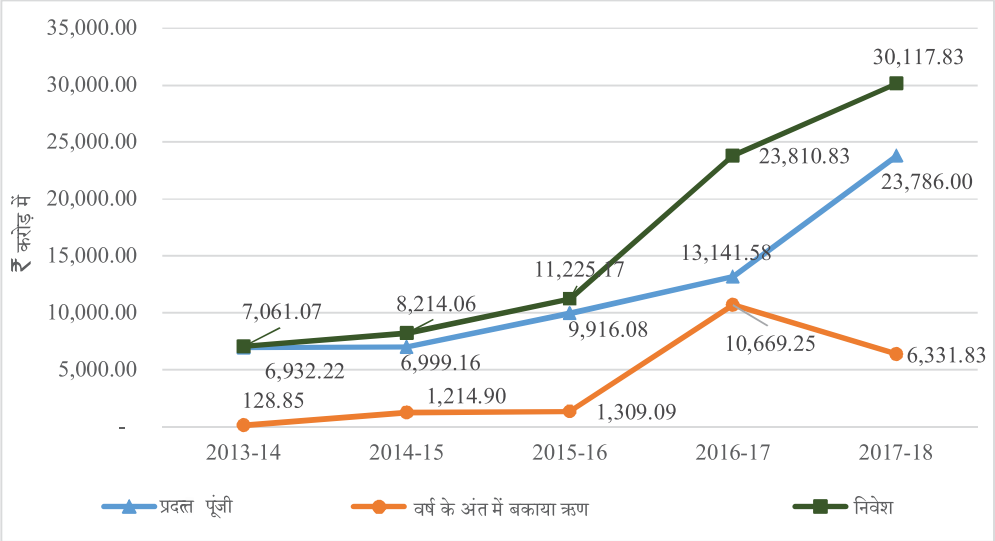
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों के विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित लाभ देने की उम्मीद की जाती है। 31 मार्च 2018 को विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि इक्विटी के रूप में ₹ 24,932.51 करोड़ और दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में ₹ 17,402.60 करोड़ को मिलाकर ₹ 42,335.11 करोड़ (₹ 34,550.11 करोड़ + ₹ 7,785 करोड़ उदय स्कीम के तहत अनुदान) थी। इसमें से, हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 23,786.00 करोड़ की इक्विटी और ₹ 6,331.83 करोड़ के दीर्घ अवधि ऋणों को मिलाकर ₹ 30,117.83 करोड़ का निवेश किया है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में हरियाणा सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश



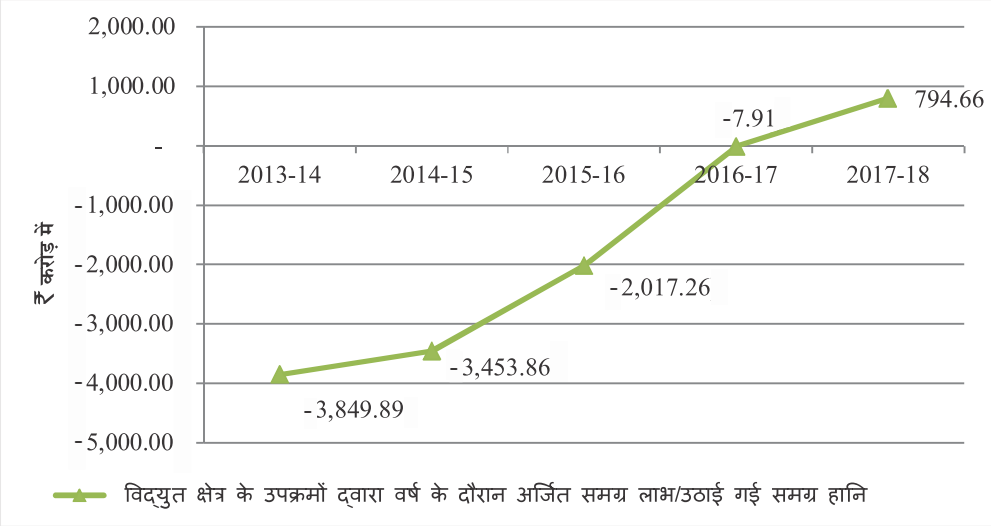
किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर रिटर्न, एक निश्चित वर्ष में इक्विटी और दीर्घ अवधि ऋण के रूप में निवेश की गई धन राशि से संबंधित लाभ या हानि है और इसे कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूंजी द्वारा ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर रिटर्न, शेयरधारकों की निधि द्वारा कर की कटौती के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके गणना किए गए निष्पादन का एक माप है।

निवेश पर रिटर्न

1.9 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यरत उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई

हानि[6] की समग्र स्थिति को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



विद्युत क्षेत्र के इन चार सा.क्षे.उ. द्वारा 2013-14 में उठाई गई ₹ 3,849.89 करोड़ की हानि के विरूद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 794.66 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के लिए नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार सभी चार सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 794.66 करोड़ ***(परिशिष्ट-1)*** का लाभ अर्जित किया। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियां यू.एच.बी.वी.एन.एल (₹ 278.24 करोड़) और एच.पी.जी.सी.एल. (₹ 231.35 करोड़) थीं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति, जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई, नीचे दी गई है:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2013-14	4	0	4	0
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	3	1	0
2017-18	4	4	0	0

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न

1.10 राज्य के विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के केवल चार उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का निवेश किया। राज्य सरकार ने सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड[7] में किसी भी प्रत्यक्ष निधि का निवेश नहीं किया। इस कंपनी की संपूर्ण इक्विटी का योगदान जे.वी. पार्टनर्स द्वारा किया गया था।

6 आंकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

7 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम।

चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना हरियाणा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि ऋणों को पुनर्भुगतान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/परिदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, 2015-16 से 2017-18 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए अनुदान को निवेश के रूप में माना गया है क्योंकि यह अनुदान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था। इसलिए, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की तुलना, दोनों तरह से दी गई है, अर्थात् उदय स्कीम के अंतर्गत अनुदान को निवेश के रूप में मानने के बाद और ऐसे अनुदान को निवेश के रूप में विचार किए बिना।

विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश इक्विटी पर विचार करके (प्रारंभिक इक्विटी सा.उ.क्षे. को हस्तांतरित प्रारंभिक शेष संचित हानियों का निवल और बाद के वर्षों के दौरान निवेश की गई इक्विटी) और ब्याज मुक्त ऋण, यदि कोई हो, को जोड़कर किया गया है। विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 23,554.10 करोड़ (₹ 23,786 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़) था और ऋणों को लेखे में नहीं लेना था क्योंकि ₹ 231.90 करोड़ की आरंभिक संचित हानियों के समायोजन के बाद ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2017-18 के अंत में सभी ऋण ब्याज वाले ऋण थे)।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर रिटर्न नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत आधार पर इक्विटी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त निधियां (प्रारंभिक संचित हानि का शुद्ध) (₹ करोड़ में)	वर्ष के कुल अर्जन/हानियां (₹ करोड़ में)	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2013-14	6,700.32	-3,849.89	-57.46
2014-15	6,767.26	-3,453.86	-51.04
2015-16	9,684.18	-2,017.26	-20.83
2016-17	12,909.68	-7.91	-0.06
2017-18	23,554.10	794.66	3.37

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. में निवेश पर रिटर्न में मुख्यत: उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त परिदान के माध्यम से दो डिस्कॉम्ज की आय में वृद्धि के कारण 2013-14 में -57.46 प्रतिशत से 2016-17 में -0.06 प्रतिशत और 2017-18 के दौरान पुन: 3.37 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.11 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य सरकार के नजरिए से ऐसे निवेश पर रिटर्न जरूरी है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न की पारंपरिक गणना निवेश पर रिटर्न की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। सरकारी निवेशों के वर्तमान मूल्य की गणना निवेशों के ऐतिहासिक लागत की तुलना में राज्य के सार्वजनिक

उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न की दर का आकलन करने के लिए की गई है। 31 मार्च 2018 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य पर लाने के उद्देश्य से राज्य सा.क्षे.उ. में हरियाणा सरकार द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-दर-वर्ष औसत दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई थी जहां इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था। हालांकि, चार सा.क्षे.उ. में वर्ष 2017-18 के दौरान केवल निवेश पर सकारात्मक रिटर्न मिला। इसलिए, केवल 2017-18 के लिए, निवेश पर रिटर्न की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है जिसमें उदय स्कीम के हिस्से के रूप में दी गई परिदान और इस तरह की परिदान शामिल नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- उन मामलों में जहां सा.क्षे.उ. को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है। अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई निधियों को उदय स्कीम के अंतर्गत दी गई परिदान के मामले में छोड़कर कोई निवेश नहीं किया गया है जैसा कि पैरा 1.10 में संदर्भित है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[8] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है। ।

2013-14 (चार कंपनियों), 2014-15 (तीन कंपनियों), 2015-16 (तीन कंपनियों), 2016-17 (केवल एक कंपनी) की अवधि के लिए, जब इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, निष्पादन का एक और अधिक उपयुक्त उपाय है घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण। कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर टिप्पणी अनुच्छेद 1.13 में दी गई है।

1.12 31 मार्च 2018 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे दी

[8] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

गई तालिका में इंगित की गई है:

तालिका 1.8: 1999-2000 से 2017-18 तक राज्य सरकार और सरकारी निधियों के वर्तमान मूल्य द्वारा निवेश के वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
1	2	3	4	5=(2+3)	6=5x(1+4)/100	7=5x4/100	8
1999-2000		448.11*	12.05	448.11	502.11	54.00	-445.55
2000-01	502.11	265.00	11.40	767.11	854.56	87.45	-221.63
2001-02	854.56	38.71	10.50	893.27	987.06	93.79	-182.55
2002-03	987.06	97.36	10.74	1,084.42	1,200.89	116.47	26.48
2003-04	1,200.89	112.27	10.20	1,313.16	1,447.10	133.94	239.68
2004-05	1,447.10	162.93	8.49	1,610.03	1,746.72	136.69	-371.08
2005-06	1,746.72	359.29	8.95	2,106.01	2,294.50	188.49	-377.65
2006-07	2,294.50	777.80	9.20	3,072.30	3,354.95	282.65	-416.21
2007-08	3,354.95	930.16	7.43	4,285.11	4,603.49	318.38	-649.10
2008-09	4,603.49	855.72	7.82	5,459.21	5,886.12	426.91	-1,246.5
2009-10	5,886.12	898.82	9.29	6,784.94	7,415.27	630.32	-1,460.84
2010-11	7,415.27	882.18	9.22	8,297.45	9,062.47	765.02	-592.08
2011-12	9,062.47	573.35	9.73	9,635.82	10,573.39	937.57	-10,194.26
2012-13	10,573.39	198.62	9.86	10,772.01	11,834.13	1,062.12	-3,833.76
2013-14	11,834.13	100.00	9.83	11,934.13	13,107.25	1,173.12	-3,849.89
2014-15	13,107.25	66.94	9.33	13,174.19	14,403.34	1,229.15	-3,453.86
2015-16	14,403.34	1,619.42	8.64	16,022.76	17,407.13	1,384.37	-2,017.26
2016-17	17,407.13	1,927.99	8.00	19,335.12	20,881.93	1,546.81	-7.91
2017-18	20,881.93	5,454.43	8.10	26,336.36	28,469.60	2,133.25	794.66
कुल		**15,769.10**					

* *सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 680.01 करोड़ से ₹ 231.90 करोड़ की कम प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानि के बराबर राशि। कॉलम संख्या 3 और 8 के संबंध में सूचना संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित है।*

वर्ष के अंत में इन चार कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 448.11 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा देय इक्विटी - ₹ 680.01 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) से बढ़कर 2017-18 में ₹ 15,769.10 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 15,320.99 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 28,469.60 करोड़ परिकलित किया गया।

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों से संबंधित वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय ऋणात्मक रही जो यह संकेत देती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत नहीं वसूल सकी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के लिए कुल सकारात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे।

सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय इन डिस्कॉम्ज के ऋण लेने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत 2015-16 और 2016-17 में प्रत्येक डिस्कॉम को ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान भी दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य सरकार के निवेश के रूप में मानते हैं, तो निवेश पर रिटर्न और कम हो जाएगा। 2017-18 के दौरान निवेशों पर आय का

ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर तुलनात्मक विवरण उदय स्कीम के परिदान राशि को शामिल करके एवं शामिल न करके दोनों तरह से नीचे दिया गया है:

तालिका 1.9: राज्य सरकार की निधियों पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल अर्जन/ हानि(-)	इक्विटी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
उदय के बिना	794.66	15,769.10	5.04	28,469.60	2.79
उदय सहित	794.66	23,554.10	3.37	37,951.07	2.09

2017-18 के दौरान रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर आधारित रिटर्न की तुलना में कम था। 2017-18 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 5.04 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न 2.79 प्रतिशत था। हालांकि, यदि हम उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए अनुदान को भी निवेश के रूप में मानते हैं, तो ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 3.37 प्रतिशत से घटकर वर्तमान मूल्य के आधार पर 2.09 प्रतिशत हो गई।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष घटाकर संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय। अनिवार्य रूप से यह एक माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 17,147.50 करोड़ के पूंजी निवेश के विरूद्ध ₹ 29,302.90 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.02 करोड़ ***(परिशिष्ट-1)*** के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के बाद ₹ 12,155.38 करोड़ की नकारात्मक निवल राशि रही। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 9,639.10 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 8,726.44 करोड़) का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया।

निम्न तालिका 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि और निवल मूल्य को इंगित करती है:

तालिका 1.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	संचित लाभ/हानि	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	8,236.61	-	-25,042.76	0.00	-16,806.15
2014-15	8,370.48	-	-29,173.23	0.02	-20,802.77
2015-16	11,322.28	-	-29,122.79	0.01	-17,800.52
2016-17	11,675.82	-	-30,082.91	0.01	-18,407.10
2017-18	17,147.50	-	-29,302.90	0.02	-12,155.42

राज्य सरकार ने 2013-18 की अवधि के दौरान पर्याप्त इक्विटी देकर विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। हालांकि, पर्याप्त पूंजी देने के बावजूद, इन विद्युत कंपनियों का संचित घाटा 2013-14 में ₹ 25,042.76 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 29,302.90 करोड़ हो गया और इन कंपनियों में निवेश की गई समग्र पूंजी का ह्रास हो गया। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान, हालांकि विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने ₹ 794.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया, लेकिन संचित घाटे के कारण इन कंपनियों का निवल मूल्य नकारात्मक (₹ 12,155.42 करोड़) था।

2013-14 से 2017-18 के दौरान चार[9] सा.क्षे.उ. में से, दो[10] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य नकारात्मक था और दो[11] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य सकारात्मक था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान दो[12] सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान दो[13] सा.क्षे.उ. के संबंध में यह उतार-चढ़ाव वाली है।

लाभांश भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित है। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां अवधि के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी का उपयोग किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.11: 2013-14 से 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्त की गई (प्रारंभिक संचित हानि के समायोजन के बिना)		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित किया/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	4	6,932.22	-	0	-	0	0
2014-15	4	6,999.16	1	2,900.24	-	0	0
2015-16	4	8,618.58	1	2,949.04	-	0	0
2016-17	4	10,546.57	2	5,617.59	-	0	0
2017-18	4	16,001.00	4	16,001.00	-	0	0

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 11.96 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से किसी भी सा.क्षे.उ. ने हरियाणा सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया/भुगतान नहीं किया।

9 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

10 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

11 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

12 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

13 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

चार कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार 2017-18 के दौरान ₹ 794.66 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी लाभांश पर विचार नहीं किया।

इक्विटी पर रिटर्न

1.15 इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर रिटर्न की गणना विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.12: विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों, जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	वर्ष की निवल आय/कुल अर्जन[14] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2013-14	-3,849.89	-16,806.15	-
2014-15	-3,453.86	-20,802.73	-
2015-16	-2,017.26	-17,800.50	-
2016-17	-7.91	-18,407.08	-
2017-18	794.66	-12,155.38	-

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान, निवल आय केवल 2017-18 के दौरान सकारात्मक थी, हालांकि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी। चूंकि 2013-14 से 2016-17 के दौरान इन सा.क्षे.उ. की निवल आय और सभी वर्षों के लिए शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी, इसलिए इन सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न परिकलित नहीं किया जा सका। हालांकि, शेयरधारकों की नकारात्मक निधि से संकेत मिलता है कि इन सा.क्षे.उ. की देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं।

[14] संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

1.16 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है।

आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[15] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी चार उपक्रमों के आर.ओ.सी.ई. का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2013-14	18,973.98	177.65	0.94
2014-15	19,836.80	1,500.43	7.56
2015-16	15,658.97	4,125.81	26.35
2016-17	10,549.65	1,723.04	16.33
2017-18	5,247.18	3,943.18	75.15

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का आर.ओ.सी.ई. 0.94 प्रतिशत और 75.15 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान आर.ओ.सी.ई. में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुख्य रूप से ऋण लेने और उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान प्रदान करने के कारण वित्त लागत में कमी आई है।

कंपनियों के दीर्घ अवधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कंपनियों द्वारा ऋण देने की क्षमता का आकलन करने के लिए कंपनियों, जिन्होंने 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया, के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज आवृत अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज आवृत अनुपात

1.18 ब्याज आवृत अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे ब्याज आवृत अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा नहीं कर

[15] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

रही थी। विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों, जिनमें 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ब्याज भार था, में ब्याज आवृत अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं:

तालिका 1.14: ब्याज आवृत अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2013-14	3,929.76	177.65	4	0	4
2014-15	3,471.80	1,500.43	4	1	3
2015-16	4,531.25	4,125.81	4	2	2
2016-17	3,134.92	1,723.04	4	3	1
2017-18	2,673.69	3,943.18	4	4	0

यह देखा जा सकता है कि जहां वर्ष 2013-14 में एक से अधिक की ब्याज आवृत अनुपात वाली विद्युत क्षेत्र की कोई कंपनी नहीं थी, वहीं 2017-18 में सभी चार कंपनियों में एक से अधिक का ब्याज आवृत अनुपात था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.19 पिछले पांच वर्षों के दौरान, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 11.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और 2017-18 में दीर्घावधि ऋण घटकर ₹ 17,402.60 करोड़ हो गया, जिसके कारण ऋण-दर अनुपात 2013-14 में 1.61:1 से सुधरकर 2017-18 में 0.51:1 हो गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.15: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य से ऋण (बैंक और वित्तीय संस्थान)	35,780.12	24,339.52	33,459.49	28,956.75	17,402.60
टर्नओवर	22,256.12	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,371.00
ऋण-टर्नओवर अनुपात	1.61:1	0.88:1	1.14:1	0.90:1	0.51:1

स्रोत: ***परिशिष्ट-I*** के आधार पर संकलित।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.20 विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय स्कीम) का शुभारंभ किया (20 नवंबर 2015)। उदय स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए स्कीम

1.20.1 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और घाटे की जी.आई.एस. मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों के उन्नयन या बदलने, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड प्रबंधन, टैरिफ का संशोधन,

जैसी विभिन्न लक्षित गतिविधियां करने की आवश्यकता थी। इनके साथ-साथ व्यापक उपभोक्ता सूचना, शिक्षा और संचार अभियान बिजली की चोरी रोकने, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन देता है जहां परिचालन क्षमता में सुधार के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (ए.टी. एंड सी.) हानि को कम किया गया है। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके अर्थात् फीडर और डी.टी. स्तर पर नुकसान को ट्रैक करने की क्षमता, हानि उठाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को कम करना, आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि। परिचालन सुधार के परिणामों को संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) और राज्यों द्वारा अंतिम रूप से नुकसान की कमी प्रक्षेप पथ के अनुसार 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि में 15 प्रतिशत की कमी, 2019-20 तक आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के मध्य अंतर में शून्य तक कमी।

वित्तीय बदलाव की स्कीम

1.20.2 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम्ज का 75 प्रतिशत 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत बकाया ऋण लेना अपेक्षित था। वित्तीय बदलाव की स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान हैं:

- राज्य *'गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात'* नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम में हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। ऐसे जारी किए गए बांडों में 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें 5 साल तक की अधिस्थगन अवधि में मूलधन चुकाने की मोहलत होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के साथ तथा इसके बाद उच्च लागत के ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम में हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा, जो डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में दिया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम्ज से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के

अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.16: 31 दिसंबर 2018 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	1,365	2,014	147.55
ग्रामीण	1,621	2,513	155.03
वितरण ट्रांसफार्मर पर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	50,154	17.95
ग्रामीण	4,78,120	63,744	13.33
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	3,536	100.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	2,076	128.07
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या लाख में)	49,18,000	45,58,000	92.68
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	4,31,797	6,583	1.52
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	8,22,747	3,857	0.47
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	2,14,00,000	1,55,89,000	72.85
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	15.55 से 24.06[16]	
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.12	-0.03 से 0.11[17]	
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-456	1,197.94	100

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग में राज्य का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू नहीं हुआ था जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों को बिजली प्रदान करने और एल.ई.डी. के वितरण के क्षेत्रों में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्थात् 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करना, अभी भी हासिल किया जाना था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2018 तक उदय स्कीम के अंतर्गत दो राज्य डिस्कॉम्ज द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच राज्य को पांचवां स्थान दिया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.20.4 विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान नीचे दिए गए

[16] 31 दिसंबर 2018 को यू.एच.बी.वी.एन.एल. की ए.टी. एंड सी. हानि: 24.06 प्रतिशत और डी.एच.बी.वी.एन.एल. की 15.55 प्रतिशत।

[17] 31 दिसंबर 2018 को यू.एच.बी.वी.एन.एल. का ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर ₹ 0.11 प्रतिशत प्रति यूनिट और डी.एच.बी.वी.एन.एल. का ₹ - 0.03 प्रतिशत प्रति यूनिट था।

विवरण के अनुसार ₹ 2,595 करोड़ रुपये की इक्विटी और ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान प्रदान करके ₹ 25,950 करोड़ का कुल ऋण लिया:

तालिका 1.17: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	**17,300.00**
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	**8,650.00**
कुल	**2,595.00**	**15,570.00**	**7,785.00**	**25,950.00**
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
31 मार्च 2018 को स्थिति	**7,785.00**	**10,380.00**	**7,785.00**	**25,950.00**

उदय स्कीम के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹ 7,785 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम द्वारा ₹ 5,190 करोड़ का ऋण चुकाया गया था।

डिस्कॉम्ज ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्तूबर 2015 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹ 2,760.18 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हरियाणा सरकार द्वारा ऋण 8.06 से 8.21 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष दिए गए थे।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों ने 1 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने छः लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किए। इन सभी लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.18: विद्युत क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	108.03	1	13.06	0	0
2	लाभ में वृद्धि	0	0	1	79.68	3	714.78
3	हानि में वृद्धि	3	1,027.61	2	127.1	1	3,428.35
4	हानि में कमी	0	0	1	380.23	2	304.46
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	1	1,022.01	0	0	0	0
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	3	1,050.34	2	652.09	0	0

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखाओं पर परिमित प्रमाण-पत्र, एक लेखे पर अपरिमित प्रमाण-पत्र और एक लेखे पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र जारी किए थे। यह ध्यान में रखने के बाद नि.म.ले.प. की शर्तों के प्रभाव से वर्ष 2017-18 के लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. का लाभ ₹ 53.77 करोड़ की हानि में बदल गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग-I के लिए 'दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और चार अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मई 2019) हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,000.74 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.19: सा.क्षे.उ. विद्युत क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 नवंबर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14.03.2016	1	8	-	-
2015-16	27.02.2017	1	9	-	6
2016-17	14.03.2018	-	13	-	10

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

2015-16 के छः अनुच्छेदों और 2016-17 के दस अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 नवंबर 2018 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.20: 30 नवंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	8	1	8
2015-16	1	9	-	-
2016-17	-	13	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के लिए 2014-15 के संबंध में चर्चा पूरी हो गई है।

लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.25 मार्च 2016 और मार्च 2018 के मध्य राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के तीन प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 नवंबर 2018) जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.21: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2015-16	1	4	1 (पैरा सं. 14)
2016-17	1	7	7 (पैरा सं. 1 से 7)
2017-18	1	8	8 (पैरा सं. 3 से 7 एवं 11 से 13)
कुल	**3**	**19**	**16**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं जो 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।